हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 146/2019 अनवान चैनसिंह बनाम वीरोदेवी

नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए

25/11/22

निर्णय/आदेश

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 व 92 के तहत प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। वकील प्रार्थी का कथन है कि मौजा बाडमेर शहर पटवार क्षैत्र बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 4109/1601 रकबा 07.12 बीघा भूमि आई हुई है, जिसमे हिस्से खुले हुए नही है।मौके पर हिस्सा अनुसार कब्जा काश्तहै। अप्रार्थीगण, प्रार्थी के कब्जा की भूमि में हस्तक्षेप कर निर्माण कार्य करवा रहे है। प्रार्थी का 1/4 हिस्सा सड़क के दोनों हिस्सों की भूमि पर काबिज है, लेकिन प्रार्थी का भाई व अन्य अप्रार्थीगण, प्रार्थी को मुख्य सड़क की भूमि से वंचित कर उसके कब्जे में व अजनबी क्रेतागण को अपंजिकृत बेचाननामों के आधार पर बेच कर बिना बंटवाड़ा करवाये बिना प्रार्थी की भूमि में काबिज करवाने पर उतारू है। यदि वह उसम सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाये कि अप्रार्थीगण उपवर्णित भूमि में प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे न ही प्रार्थी के हिस्से भूमि में निर्माण कार्य करवावें। मौके व रेकर्ड की वाद के निर्णय तक यथा स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 05 उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 05 ने जवाब प्रस्तुत नही कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने झूठे तथ्यों पर आवेदन प्रस्तुत किया है अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि में हस्तक्षेप नही किया जा रहा है तथा न ही भूमि का बेचान किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज योग्य है।

सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का भी गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन से

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व आवेदन संख्या 146/2019 अनवान चैनसिंह बनाम वीरोदेवी
	तथा वाद पत्रावली एवं आवेदन के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि यदि यह आवेदन खारिज किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 01.05.2019 को जारी की जा चुकी है तथा वर्तमान में स्थगन आदेश प्रभाव में है। प्रकरण में दिनांक 25.11.2022 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 05 का काउन्टर क्लेम में स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा बाडमेर शहर पटवार हल्का बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 4109/1601 रकबा 07.12 बीघा भूमि में मौके में उभय पक्ष मौके व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO),बाड़मेर